RAJYA SABHA

Thursday, the 27th November, 1997/ 6 Agrahayana, 1919 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर वख्त) : सदर साहब, मेरी एक दरख्वास्त है....(**व्यवधान**)

نیتا وروڈھی دل شری سکندر بخت: صدر صاحبہ- میری ایک درخواسٹ ہے.....مداخلت.....

श्री एस.एस. की अंतरिम रिपोर्ट पर....(**व्यवधान**) उनके खिलाफ कार्रवाई हो....(**व्यवधान**)

श्री सिकन्दर बख्तः हमारी दरख्वास्त है कि हाऊस चलना चाहिए। अगर हाऊस नहीं चलने दिया गया और हाऊस एडजोर्न हो गया तो हम एज ए प्रोटेस्ट हाऊस में बैठे रहेंगे।....(**व्यवधान**)

شری سکندر بخت: ہماری درخواسٹ ہے کہ ھاؤس چلنا چاہئے- اگر ھاؤس نہیں چلنے دیا گیا اور ھاؤس ایڈجون ہو گیا تو ہم "ایزاے پرٹیسٹ" ھاؤس میں بیٹھے رہیں گے.....مداخلت.....

श्री एस. एस. अहलुवालियाः सभापति महोदय, ...(**व्यवधान**) एल.टी.टी.ई. के साथ हाथ मिलाकर डी.एम.के. ने जो षड़यंत्र रचा....(**व्यवधान**) सारी कोडेड इंफार्मेशन पास की उसके कारण....(**व्यवधान**) राजीव गांधी की हत्या की गई....(**व्यवधान**)

श्री संजय निरुपमः महोदय, ...(**व्यवधान**)

श्री सभापतिः अब आप अपनी सीट पर जाएं...(**व्यवधान**)

श्री अजीत जोगीः महोदय, ...(**व्यवधान**)

†[ ]Transliteration in Arabic Script

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

ठेका श्रमिकों के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

121. **श्री गोपाल सिंह जी. स्प्रेलंकीः** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायलय ने ठेका श्रमिकों के संबंध में सितम्बर, 1995 मे कोई निर्णय दिया थाः

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय में किन किन महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया गया था,

(ग)क्या सरकार ने ठेका श्रमिकों के लिए चिकित्सा लाभ, आकस्मिक अवकाश कैंटीन, बीमा तथा उनकी मृत्यु की स्थिति में मुआवजा जैसी मूल सुविधाओं से संबंधित विषयों में कोई अध्ययन किया है ;

(घ) क्या सरकार विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत उनके अधिकारों की रक्षा करने हेतु एक व्यापक विधेयक लाने पर विचार कर रही है, और

(ड) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) गुजरात इलैकिट्रीसिटी बोर्ड थर्मल पावर स्टेशन इकाई गुजरात बनाम हिन्द मजदूर सभा और अन्यों के मामले में ठेका श्रम के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 9 मई, 1995 के अधिनिर्णय को सितम्बर, 1995 के माह मे आल इण्डिया रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था। अधिनिर्णय में निपटाए गए महत्वपूर्ण बिन्दु निश्रनुसार हैः-

1. अधिनियम की धारा 10 के अधीन इस संबंध में व्यवस्था नहीं की गई है कि उक्त धारा के अंतर्गत् समुचित सरकार द्वारा ठेका श्रम के नियोजन की प्रतिसिद्व करने वाली अधिसूचना एक बार जारी कर दिए जाने के बाद तत्कालीन ठेकेदार के कर्मकारों की स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाएगा।

2. ठेका श्रम के उत्सादन होने की स्थिति समे कर्मकारों की स्थिति बदतर हो जाती है क्योंकि वे न तो ठेकेदार द्वारा नियोजित हो जाती हैं और न ही मुख्य नियोक्ता के लिए ऐसी कोई वाध्यता है कि वह अपने प्रतिष्ठान में उन्हें नियोजित करे।

3. हालांकि विधान का उद्देश्य सर्वहितकारी है, तथापि, इसमें ठेका श्रम का उत्सादन कर दिए जाने के बाद के संबंधित कर्मकारों के लिए किसी राहत की व्यवस्था नहीं की गई है।

4. ठेका श्रम के उत्सादन के बाद मुख्य प्रतिष्ठान में विधान ठेकागत श्रमिकों के स्वतः सभायोजन की व्यवस्था न किए जाने के पीछे विधान का औचित्य स्पष्ट नहीं है।

5. तथापि कानून में ऐसी कमियों या लोपों द्वारा औद्योगिक न्यायनिर्णायकों को निरूद्व नहीं किया जा सकता है।

6. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत ठेकागत संबंध और नियोजन और कर्मचारियों के बीच किए गए नए ठेकों में परिवर्तन करना औद्योगिक न्यायनिर्णायकों की अधिकारिता के अन्तर्गत है।

7. ऐसे सभी मामलों में जहां ठेका श्रम को समाप्त कर दिया गया है, वहां मामले की तथ्यात्मकता के आधार पर औद्योगिक न्यायनिर्णायक मुख्य नियोक्ता को यह निर्दिष्ट करने के लिए प्राधिकारी होगा कि वह अपने समक्ष प्रस्तुत संगत सामग्री के आधार पर निर्धारित की गई शर्तों के आधार पर तत्कालीन ठेकेदार के ऐसे कर्मकारों को सभायोजित करे।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने अन्यों के साथ साथ यह भी सिफारिश की किः

(क) ऐसे सभी उपक्रम जो ऐसे किसी प्रक्रिया या कार्य में ठेका श्रम पद्वति का नियोजन कर रहे हैं, जो अधिनियम की धारा 10(2) के खण्ड (क) से (घ) में उल्लिखित कारकों की तुष्टि करते हैं, स्वतः ही ठेका श्रम को रोक देंगे और उतने श्रमिकों को अपने मूल कर्मचारियों के रूप में सभायोजित कर लेंगे जितना कि व्यवहार्थ हो,

(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच करने के लिए समितियों की नियुक्ति करेंगे जिनमे ठेका श्रम नियोजित है और जहां अधिनियम की धारा 10(2) के खण्ड (क) से (घ) में निर्धारित किए गए मानदण्नडों के आधार पर, ठेका श्रम पद्वति को समाप्त किया जा सकता है और ठेकागत श्रमिक को सीधा रोजगार दिया जा सकता है। समुचित सरकार को चाहिए कि वह अपनी ओर से अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई प्रक्रिया का अनुमान करे संबंधित प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम को समाप्त करने की कार्रवाई शुरू करे।

(ग) केन्द्रीय सरकार को अधिनियम में संशोधन करना चाहिए और उसमें ऐसे उचित प्रावधान को अन्तर्विष्ट करना चाहिए कि ठेका श्रम को समुचित

(घ) सरकार द्वारा एक बार समाप्त किए जाने के बाद प्रधान प्रतिष्ठान के तत्कालीन ठेकेदार के कर्मकारों के सीधे रोजगार के प्रशन को औद्योगिक न्यायनिर्णायक को संदर्भित किया जाए।

(ङ) श्रम मंत्रालय के अधीन कार्रयरत श्रम ब्यूरो समय-समय पर कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में ठेका श्रम के संबंध में सर्वेक्षण करता है। अभी तक 39 ऐसे सर्वेक्षण किए गए हैं, जिनमें से 38 को रिपोर्टों के रूप में प्रकाशित किया गया है। ये सर्वेक्षण 1956-57 में लौह अयस्क खानों में ठेका श्रम पर सर्वेक्षण करने के साथ शुरु किए गए। इन सर्वेक्षणों में, अन्यों के साथ-साथ ठेका श्रम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया गयाः-

1. कार्य के घंटे
2. विश्राम समय
3. रात्रि पाली कार्य
4. वेतन सहित अवकाश और छुट्टियां
5. आवास
6. दुर्घटना के लिए प्रतिपूर्ति
7. प्रसूति प्रसुविधाएं
8. भविष्य निधि
9. उपदान और पेंशन योजना
10. व्यवसाय संधावद और शिकायत निवारण तंत्र
11. सफाई व्यवस्था
12. धुलाई सुविधा
13. प्रथमोपचार बाक्स

सर्वेक्षण रिपोर्ट सूचनात्मक है और ठेका श्रम के क्षेत्र में सरकार के लिए नीति बनाने और विधान बनाने के कार्य के लिए उपयोगी है।

(घ)और (ड) विधिन्न कानूनों के अंतर्गत ठेका श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने कि लिए एक व्यापक विधेयक जरूरी नहीं समझा गया है। ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के संशोधन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड के परामर्श से जांच की जा रही है।i

Disposal of Medical Wastes

*122. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Supreme Court had issued certain directive and that, in pursuance of the directive, rules were